अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पवई, जिला–पन्ना (म0प्र0)

(समक्ष : आर.के. रावतकर)

Registration No. : 01/2018

Filеing No. : MACC2/2018

CNR No. : MP35060000052018

Fileing Date. : 03.01.2018

गेंदलाल लोधी तनय सिया लोधी, उम्र–30 वर्ष, निवासी ग्राम–पड़रियाकलां, आरक्षी केन्द्र–पवई, जिला–पन्ना (म0प्र0) ....**आवेदक**

विरुद्ध

01. सुरेन्द्र कुमार तनय श्री रामलाल सिंगरौल, उम्र–28 वर्ष, पेशा–वाहन चालक, निवासी ग्राम–बिहरासर, आरक्षी केन्द्र–गुनौर, जिला–पन्ना (म0प्र0)

02. मेसर्स परिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोप0 अमरजीत सिंह परिहार बस स्टैण्ड नागौद, जिला–सतना (म0प्र0)

03. शाखा प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मण्डल कार्यालय सतना चौरसिया कॉम्पलेक्स सिमरिया चौक रीवा रोड, सतना (म0प्र0) ....**अनावेदकगण**

–:: **अधिनिर्णय** ::–

(आज दिनांक .. **मई, 2019** को परिदत्त)

1. आवेदक द्वारा धारा–166 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 11.08.2015 को परिहार बस क्रमांक एम.पी. 19 पी. 0836 से कारित दुघ

र्घटना में आवेदक को गंभीर चोटें कारित हो जाने के कारण अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा पृथक—पृथक क्षतिपूर्ति राशि रुपए 6,36,000 (छः लाख छत्तीस हजार) दिलाए जाने का निवेदन किया गया है।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 18.11.2015 को सुबह 9.30 बजे वह खारा हार पड़रिया से सड़क के किनारे अपनी ओर से जा रहा था तथा जब वह मुन्नी लोधी के घर के पास पहुंचा, उसी समय परिहार बस क्रमांक एम.पी. 19 पी. 0836 के चालक ने उक्त बस को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आवेदक को टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर एवं प्राणघातक चोटें आईं थीं। दुर्घटना दिनांक को दुर्घटना में लिप्त वाहन का स्वामी अनावेदक क्रमांक—02 था, जिसे अनावेदक क्रमांक—01 चला रहा था तथा अनावेदक क्रमांक—03 द्वारा बीमाकृत था। जिस कारण आवेदक ने अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा पृथकतः विभिन्न मदों में रुपए 6,36,000 (छः लाख छत्तीस हजार) क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाए जाने का निवेदन किया है।

3. अनावेदक क्रमांक—01 एवं 02 द्वारा संयुक्त रूप से जवाब प्रस्तुत कर आवेदन—पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अभिवचन किया गया है कि दुर्घटना में लिप्त वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। यह भी अभिवचन किया गया है कि दुर्घटना दिनांक को दुर्घटना में लिप्त वाहन अनावेदक क्रमांक—03 के कार्यालय से बीमित था। अतः क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व बीमा कंपनी का ही है। अतः अनावेदक क्रमांक—01 एवं 02 के विरुद्ध आवेदकगण की याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. अनावेदक क्रमांक—03 बीमा कम्पनी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर आवेदन—पत्र के सम्पूर्ण अभिवचन को अस्वीकार किया गया है। बीमा कम्पनी द्वारा अधिकोत्तर

में यह कहा गया है कि दुर्घटना दिनांक उक्त वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। जिस कारण बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है। अतः उसके विरुद्ध प्रस्तुत क्षतिपूर्ति याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. सभी पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद–प्रश्नों की विरचना की गई है, जिनके संबंध में विवेचना सहित सकारण निष्कर्ष निम्नानुसार दिए जा रहे हैं :–

क्रं0	**वाद–प्रश्न**	**निष्कर्ष**
2.	क्या, दुर्घटना दिनांक 18.11.2015 को सुबह 09.00 बजे अनावेदक क्रमांक–01 ने अनावेदक क्रमांक–02 के स्वामित्व की परिहार बस पंजीयन क्रमांक एम.पी. 19 पी. 0836 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मुन्नी लोधी के घर के सामन ग्राम–पड़रियाकला में आवेदक को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित किया था ?	प्रमाणित।
2.	क्या, उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अनावेदक क्रमांक–01 के द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन से प्रश्नाधीन वाहन चलाकर आवेदक गेंदलाल लोधी को गंभीर चोटें कारित कीं ?	प्रमाणित।
3.	क्या, दुर्घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन अनावेदक क्रमांक–03 बीमा कंपनी द्वारा बीमित था ?	प्रमाणित।
4.	क्या, वाहन बीमा शर्तों एवं निबंधनों के उल्लंघन में चलाया व चलवाया जा रहा था ?	प्रमाणित।

5.	आवेदक, अनावेदकगण से पृथक–पृथक व संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है ?	अंशतः प्रमाणित।
6.	सहायता एवं वाद–व्यय ?	अधिनिर्णय कण्डिका 22 के अनुसार।

वाद–प्रश्न क्रमांक–01 पर सकारण निष्कर्ष

6. आवेदक गेंदलाल लोधी (आ.सा.–01) ने अपने शपथ–पत्रीय कथन में बताया है कि वह दिनांक 18.11.2015 को सुबह 9.30 बजे खारा हार पड़रिया से सड़क के किनारे अपनी ओर से जा रहा था। साक्षी के अनुसार जब वह मुन्नी लोधी के घर के पास पहुंचा, उसी समय परिहार बस क्रमांक एम.पी. 19 पी. 0836 के चालक ने उक्त बस को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसे टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर एवं प्राणघातक चोटें आईं थीं तथा उसकी छिंगुली एवं एक अंगुली टूट गईं।

7. चक्षुदर्शी साक्षी सज्जन लोधी (आ.सा.–02) ने अपने शपथ–पत्रीय कथन में बताया है कि वह दिनांक 18.11.2015 को सुबह 9.30 बजे सतना जाने के लिए पड़रिया बस स्टैण्ड के लिए पैदल जा रहा था। साक्षी के अनुसार जब वह मुन्नी लोधी के घर के पास पहुंचा वहां पर आवेदक गेंदलाल लोधी आ रहा था, उसी समय परिहार बस क्रमांक एम.पी. 19 पी. 0836 के चालक ने उक्त बस को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आवेदक को टक्कर मार दी, जिससे आवेदक को गंभीर एवं प्राणघातक चोटें आईं थीं तथा उसकी छिंगुली एवं पैंती की अंगुलियों में अस्थि–भंग हो गया था।

8. अनावेदक क्रमांक–01 सुरेन्द्र कुमार (अना.सा.–01) ने अपने शपथ–पत्रीय कथन में बताया है कि दुर्घटना दिनांक 18.11.2015 को उसने

परिहार बस क्रमांक एम.पी. 19 पी. 0836 से कोई दुर्घटना कारित नहीं की है। साक्षी के अनुसार आवेदक द्वारा उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति याचिका प्रस्तुत करने हेतु फर्जी रूप से राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से घटना के दो माह बाद रिपोर्ट करवाई है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय कथन की कण्डिका—06 में स्वीकार किया है कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन को वह चला रहा था। साक्षी ने बताया है कि उक्त वाहन सुबह 09.00 बजे पवई से चलकर सतना जाता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके विरुद्ध आरक्षी केन्द्र—पवई में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिस पर से न्यायालय में 279 एवं 337 भा.द.सं. तथा धारा—184 मोटरयान अधिनियम का प्रकरण चल रहा है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि परिहार बस क्रमांक एम.पी. 19 पी. 0836 पुलिस ने उससे जप्त की थी।

9. इस प्रकार साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के समय स्वीकार किया कि परिहार बस क्रमांक एम.पी. 19 पी. 0836 को पुलिस ने उससे जप्त की थी तथा उक्त दुर्घटना के संबंध में उसके विरुद्ध आरक्षी केन्द्र—पवई में अपराध पंजीबद्ध है, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण भी चल रहा है तथा साक्षी ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है कि उक्त अपराध किस आधार पर उसके विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ था, ऐसी स्थिति में साक्षी के मुख्य परीक्षण में बताए गए इस तथ्य का खण्डन कि परिहार बस क्रमांक एम.पी. 19 पी. 0836 से दुर्घटना दिनांक को उसने कोई दुर्घटना कारित नहीं की थी, उसके प्रतिपरीक्षण के कथन से ही हो जाता है। अतः साक्षी का कथन विश्वसनीय नहीं रह जाता है।

10. आवेदक द्वारा दुर्घटना से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि (प्रदर्श पी.—01), प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि (प्रदर्श पी.—02), संपत्ति जप्ती—पत्रक की सत्यप्रतिलिपि (प्रदर्श पी.—05) प्रस्तुत की गईं हैं, जिनसे यह तथ्य प्रमाणित होता है, कि अनुसंधान में पुलिस द्वारा यह पाया गया है कि दिनांक 11.02.2015 को अनावेदक क्रमांक—01 द्वारा परिहार बस क्रमांक एम.पी. 19

पी. 0836 को उपेक्षा व उतावलेपन के साथ आरोहण कर आवेदक को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित किया था, जिससे आवेदक को चोटें आईं थीं। इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से वाद–प्रश्न क्रमांक–01 प्रमाणित होता है। अतः वाद–प्रश्न क्रमांक–01 को ''**प्रमाणित**'' निर्णीत किया जाता है।

<u>वाद–प्रश्न क्रमांक–02</u>

11. आवेदक गेंदलाल लोधी (आ.सा.–01) ने अपने शपथ–पत्रीय कथन में यह भी बताया है कि दुर्घटना के कारण उसकी छिंग्गी एवं एक अंगुली में अस्थि–भंग हो गया था। जी.जी. नर्सिंग होम के एक्स–रे प्रतिवेदन (प्रदर्श पी.–08) के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक के मेटाकार्पल की चौथी एवं पांचवीं अंगुली में अस्थि–भंग था। अतः आवेदक को गंभीर चोट कारित होना प्रमाणित है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 02 को ''**प्रमाणित**'' निर्णीत किया जाता है।

<u>वाद–प्रश्न क्रमांक–03</u>

12. अनावेदक क्रमांक–01 वाहन चालक सुरेन्द्र कुमार (अना.सा.–01) ने अपने शपथ–पत्रीय कथन में बताया गया है कि दुर्घटना में लिप्त बस क्रमांक एम. पी. 19 पी. 0836 अनावेदक क्रमांक–03 के कार्यालय से दिनांक 09.09.2014 से दिनांक 08.09.2015 तक के लिए असीमित क्षतिपूर्ति के दायित्वों हेतु बीमित था, इस संबंध में अनावेदक क्रमांक–01 ने दुर्घटना में लिप्त वाहन का बीमा पॉलिसी प्रदर्श डी.–04सी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया है। अनावेदक क्रमांक–01 द्वारा प्रस्तुत दुर्घटना में लिप्त वाहन से संबंधित बीमा की प्रति प्रदर्श डी.–04सी के अवलोकन से प्रकट होता है कि अनावेदक क्रमांक–02 के स्वामित्व की बस क्रमांक एम.पी. 19 पी. 0836 अनावेदक क्रमांक–03 के कार्यालय से दिनांक 09.09.2014 से दिनांक 08.09.2015 की मध्यरात्रि तक के लिए बीमित था

जबकि दुर्घटना दिनांक 11.08.2015 की है। अनावेदक क्रमांक—03 बीमा कम्पनी द्वारा खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार दुर्घटना दिनांक को दुर्घटना में लिप्त वाहन अनावेदक क्रमांक—03 बीमा कंपनी द्वारा बीमित होना पाया जाता है। फलतः वाद—प्रश्न क्रमांक—03 को **''प्रमाणित''** निर्णीत किया जाता है।

वाद—प्रश्न क्रमांक—04

13. बीमा की शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व बीमा कंपनी का था। इस संबंध में अनावेदक क्रमांक—03 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः बीमा की शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित नहीं है। इस स्थिति में बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी विरुद्ध शांताबाई एवं अन्य 2001 (2) एम.पी.एल.जे. 52** अवलोकनीय है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक—04 को **''प्रमाणित नही''** निर्णित किया जाता है।

वाद—प्रश्न क्रमांक—05

14. प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य भलीभांति प्रमाणित हुआ है कि दुर्घटना दिनांक 11.08.2015 को बस क्रमांक एम.पी. 19 पी. 0836 के चालक अनावेदक क्रमांक—01 ने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक चलाकर आवेदक की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की थी, जिस कारण आवेदक को गंभीर चोटें कारित हुईं थीं। दुर्घटना में लिप्त वाहन दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक—03 के यहां बीमित था तथ बीमा की शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित नहीं है, ऐसी स्थिति में दिनांक 11.08.2015 को हुई दुर्घटना, जिसमें आवेदक को गंभीर चोटें कारित हुईं हैं, की क्षतिपूर्ति के लिए अनावेदक

क्रमांक–01 एवं 02 की ओर से अनावेदक क्रमांक–03 बीमा कंपनी ही दायित्वाधीन है।

15. आहत के इलाज के में हुए व्यय से संबंधित प्रदर्श पी.–09 लगायत 20 की रसीदें पेश की गईं हैं, जिनका कुल योग रुपए 4,681 / – होता है, जो आहत को दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

16. आहत इलाज हेतु कटनी गया था, जिसमें निश्चित रूप से आवेदक के आने–जाने में व्यय हुआ होगा। अतः इस संबंध में अनुमान के आधार पर एक निश्चित राशि रुपए 3,000 / – दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

17. दुर्घटना में आहत की मेटाकार्पल की चौथी एवं पांचवीं अंगुलियों में फ्रैक्चर हुआ था जिस कारण आहत को शारीरिक तथा मानसिक कष्ट हुआ होगा। अतः चोट के स्वरूप को देखते हुए आहत को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा के मद में रुपए 15,000 / – दिलाया जाना भी उचित प्रतीत होता है।

18. आहत की चोट के स्वरूप को देखते हुए पौष्टिक आहार के मद में रुपए 5,000 / – आहत को दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

19. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सम्पूर्ण बिन्दुओं पर विचारोपरान्त आहत को इस अधिकरण के मत में निम्नानुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलवाया जाना उचित होगा :–

क्रम सं0	शीर्ष	गणना (रुपए में)
01.	इलाज में हुये खर्चे के मद में	4,681 / –
02.	विशेष आहार एवं पौष्टिक भोजन तथा प्रकीर्ण व्ययों के मद में	5,000 / –
03.	यातायात प्रभारों के मद में	3,000 / –

04.	पीड़ा एवं कष्टभोग के मद में	15,000/—
	कुल योग	**रुपए 27,681**
कुल प्रतिकर		**रुपए 27,681**

20. इस प्रकार आहत क्षतिपूर्ति राशि के रूप में **रुपए 27,681 (सत्ताईस हजार छः सौ इक्यासी)** प्राप्त कर पाने का अधिकारी है।

वाद—प्रश्न क्रमांक—06

21. पूर्व में की गई साक्ष्य विवेचना अनुसार अनावेदक क्रमांक—01 वाहन का चालक एवं अनावेदक क्रमांक—02 वाहन का स्वामी होना प्रमाणित हुआ है, जो अनावेदक क्रमांक—03 द्वारा बीमाकृत था। बीमा की शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित नहीं है। इस कारण अनावेदक क्रमांक—03 उक्त क्षतिपूर्ति राशि अदायगी के लिए दायित्वाधीन हैं। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आवेदक के पक्ष में तथा अनावेदक क्रमांक—03 के विरुद्ध निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :—

(01) अनावेदक क्रमांक—03 संयुक्त रूप से अथवा पृथक—पृथक क्षतिपूर्ति राशि के रूप में आवेदक को **रुपए 27,681 (सत्ताईस हजार छः सौ इक्यासी)** दो माह के अंदर अदा करेंगी। चूंकि दुघ ्टना के समय वाहन अनावेदक क्रमांक—03 द्वारा बीमित था, इसलिए अनावेदक क्रमांक—03 उपरोक्त अवधि तक संपूर्ण प्रतिकर की राशि आवेदकगण को अदा करेगी।

(02) अनावेदक क्रमांक—03 क्षतिपूर्ति की राशि पर आवेदन प्रस्तुत दिनांक **03.01.2018** से अंतिम अदायगी तक **07** प्रतिशत वार्षिक की साधारण दर से ब्याज भी अदा करेंगे।

(03) अनावेदक क्रमांक—03 द्वारा अंतरिम प्रतिकर के रूप में यदि कोई

राशि आवेदक को दी गई हो तो वह राशि अंतिम प्रतिकर की राशि में समायोजित की जावे।

(04) याचिका का व्यय एक हजार रुपए निर्धारित किया जाता है जो आवेदक अनावेदक क्रमांक—03 से प्राप्त करने का अधिकारी है।

(05) आहत के उपचार में हुआ व्यय तथा भविष्य में होने होने वाले इलाज को दृष्टिगत् रखते हुए क्षतिपूर्ति की संपूर्ण राशि आवेदक को खाते के माध्यम से नकद भुगतान की जावे।

व्यय तालिका तैयार हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

(आर.के. रावतकर)
अतिरिक्त सदस्य,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
पवई, जिला पन्ना (म0प्र0)

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

स्थान :— पवई, जिला—पन्ना (म0प्र0)
दिनांक :— 07.05.2019

(आर.के. रावतकर)
अतिरिक्त सदस्य,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
पवई, जिला पन्ना (म0प्र0)

RAJESH KUMAR RAWATKAR

Digitally signed by RAJESH KUMAR RAWATKAR
DN: c=IN, o=MADHYA PRADESH DISTRICT COURT CHHINDWARA, postalCode=480001, st=Madhya Pradesh, 2.5.4.20=67469239d672f8127523d86575c54f2b802ef31c7b343de3bc87cd1cdef06714, serialNumber=8581c0f8617b48c6fc05ae95b66bddcb745c2ee029aefa9cddce2ebb3570d46c, cn=RAJESH KUMAR RAWATKAR
Date: 2019.05.07 17:39:48 -07'00'